न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 18/2014/223 आर टी ए

शांति पत्नि बोगा जाति बिश्नोई निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र माया देवी तथाकथित उर्फ सगरणी पुत्री ख्यालीराम जाति बिश्नोई नाढोडी तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
2. बनारसी पुत्री माया देवी तथाकथित उर्फ सगरणी पुत्री ख्यालीराम जाति बिश्नोई नाढोडी तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
3. रविन्द्र पुत्र साधुराम पुत्र माया देवी तथाकथित उर्फ सगरणी पुत्री ख्यालीराम जाति बिश्नोई नाढोडी तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
4. कुलदीप पुत्र साधुराम पुत्र माया देवी तथाकथित उर्फ सगरणी पुत्री ख्यालीराम जाति बिश्नोई नाढोडी तहसील भूना जिला फतेहाबाद हरियाणा।
5. सीतादेवी पुत्री साधुराम माया देवी तथाकथित उर्फ सगरणी पुत्री ख्यालीराम जाति बिश्नोई नाढोडी तहसील भूना।
6. शांति पत्नि स्व. साधुराम पुत्र माया देवी तथाकथित उर्फ सगरणी पुत्री ख्यालीराम जाति बिश्नोई नाढोडी तहसील भूना।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.05.2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा

प्रकरण संख्या 184/2013 अनवानी रामेश्वर आदि बनाम राज0 सरकार

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 6

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7

निर्णय दिनांकः–11.10.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड पेश किया ख्यालीराम पुत्र गंगाबिशन को चक 7 एनटीआर हाल चक 1 बरकाली के प.न. 421/418 कि.न. 1 कुल 1 बीघा भूमि कीमतन आवंटन हुई थी। ख्यालीराम के एक मात्र संतान उसकी पुत्री सगरणी उर्फ मायादेवी थी। सगरणी उर्फ मायादेव के दो पुत्र रामेश्वर व साधुराम दो पुत्र तथा एक

पुत्री बनारसी थी। ख्यालीराम वादी रामेश्वर के नाने थे। आवंटन भूमि की समस्त किस्ते ख्यालीराम ने जमा करवा दी थी परन्तु रिकार्ड मे उक्त ख्यालीराम के नाम गैरखातेदारी दर्ज जो खातेदारी दर्ज होनी चाहिये थी। इसलिए वाद भूमि ख्यालीराम के नाम खातेदारी दर्ज कर उक्त वादीगण के नाम बहिब खातेदारी दर्ज की जाकर रिकार्ड से ख्यालीराम का नाम कलमजन किया जावें, का अनुतोष चाहा गया जिसमे जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वाद डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं को आवंटी ख्यालीराम के वारिसान फर्जी तरीके से सिद्ध करने की नियत से दस्तावेज तैयार करवाकर प्रश्नगत भूमि जो अपीलांटा के पति के भाई की है। जिसे अपीलांटा बतौर वारिस ख्यालीराम प्राप्त करने की अधिकारिणी है। चूंकि स्व. ख्यालीराम के प्रथम श्रेणी का कोई वारिस मौजूद नही है। इस कारण अपीलांट द्वितीय श्रेणी की वारिस होने के नाते प्रश्नगत भूमि मे स्वतत्व रखती है इसी कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित होने से बतौर व्यथित पक्षकार अपीलाधीन निर्णय को चुनौती दे रही है। ख्यालीराम पुत्र गंगाबिशन के कोई पुत्र या पुत्री नही थी एवं रेस्पो0 सं. 1 व 2 की माता का नाम सगरणी नही था उनकी माता का नाम माया देवी उर्फ रामी था। मायादेवी उर्फ रामी ख्यालीराम की पुत्री नही थी। रेस्पो0 सं. 1 व 2 की माता का रिकार्ड मे नाम माया देवी एवं रामी तो दर्ज है परन्तु उसकी माता का नाम कही भी सगरणी दर्ज नही है। इस प्रकार रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अपनी माता के नाम के उर्फ सगरणी बनावटी अपराधिक तरीके से फर्जकारी कर झूठे दस्तावेज तैयार कर अपीलांटा जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. ख्यालीराम पुत्र गंगाबिशन की वैद्य उत्तराधिकारिणी है, की सम्पति हड़प करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया है। रेस्पो0 सं .1 ता 6 ने अपीलांट को बिना पक्षकार बनाऐ विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त की है।

4. रेस्पो0 सं. 1 ता 6 स्व. ख्यालीराम आवंटी मे किसी श्रेणी के वारिस नही होने के कारण भूमि मे उनका कोई स्वतत्व एवं हक हिस्सा नही बनता था। रेस्पो0 रामेश्वर की माता मायादेवी उर्फ रामी कभी नेठराना नही आऐ रामेश्वर की माता का गांव नाढोडी था जहां उसका नाम माया देवी पत्नि चेतराम मकान नं. 505 जो 01.01.2011 को वोटर लिस्ट मे दर्ज है तथा रामेश्वर की माता हरियाणा के सोशल जस्टीस विभाग से पेंशन लेती थी फरवरी 2011 के पेंशन लेने के जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहाबाद के

रिकार्ड मे रामेश्वर की माता का नाम रामी पत्नि चेतराम महिला दर्ज है। ख्यालीराम के सन् 1975 के राशन कार्ड मे ख्यालीराम व उसकी पत्नि रामेश्वरी उर्फ शांति दो ही नाम दर्ज है मगर पुत्री का नाम दर्ज नही है। प्रश्नगत भूमि की राशि अपीलांटा ने ही जमा करवाई है जिसकी नकल प्रस्तुत है एवं कब्जा भूमि भी अपीलांटा का चला आ रहा है। अधिवक्ता अपीलांटा ने बहस के अन्त मे आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजो को रिकार्ड मे लिये जाने हेतु निवेदन किया। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिनुसार सही है। वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 के नाना ख्यालीराम के नाम दर्ज थी जिस पर ख्यालीराम अपने जीवनकाल मे काबिज था तथा ख्यालीराम की मृत्यु के उपरांत उसकी एक मात्र वारिस मायादेवी उर्फ सगरणी काबिज रही है एवं मायादेवी उर्फ सगरणी की मृत्यु के उपरांत रेस्पो0 काबिज होकर काश्त आ रहे है। परन्तु वादग्रस्त भूमि ख्यालीराम के नाम बतौर गैरखोदारी दर्ज रही जबकि वादग्रस्त भूमि की समस्त किस्ते ख्यालीराम के द्वारा जमा करवाई जा चुकी थी। इन तथ्यो के आधार पर ख्यालीराम के नाम दर्ज भूमि रेस्पो0 ही उत्तराधिकारी होने के कारण तथा वादग्रस्त भूमि ख्यालीराम के नाम गैरखातेदारी की बजाय खातेदारी दर्ज करने हेतु वाद बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत किया गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने बहस के अन्त मे आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के जवाब मे कथन किया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज वादग्रस्त भूमि से संबंधित नही है तथा आवेदन मिथ्या कथन करते हुए पेश किया गया जो स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज करते हुए अपील अपीलांटा निरस्त की जावें।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ

प्रस्तुत दस्तावेज नोटेरी प्रमाणित शपथ पत्र मदनलाल पुत्र करणीदान राव बाबत वंशावली, नोटेरी प्रमाणित प्रति बही भाट असल बही, नोटेरी प्रमाणित प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गुसाईयाना, नोटेरी प्रमाणित प्रति राशन कार्ड, प्रमाणित प्रति मतदाता सुची ख्यालीराम, शांति, प्रमाणित प्रति निर्णय उपखण्ड अधिकारी भादरा दिनांक 08.10.14, नोटेरी प्रमाणित प्रति ब्यान हल्फनामा प्रेमकुमार, नोटेरी प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र प्रेमुकमार मय रिपोर्ट पुस्त पटवारी व लम्बरदार गांव नाढोडी, नोटरी प्रमाणित प्रति पेंशन दस्तावेज गांव नाढोडी बहक रामी पत्नि चेतराम, प्रमाणित प्रति जन्म प्रमाण पत्र काका पुत्र चेतराम, नोटेरी प्रमाणित प्रति इलेक्ट्राल रोल मायादेवी पत्नि चेतराम गांव नाढोडी, प्रमाणित प्रति अन्तिम रिपोर्ट पुलिस थाना नाथुसरी चोपटा, प्रमाणित प्रति अन्तिम रिपोर्ट पुलिस थाना गोगामेडी, नोटेरी प्रमाणित प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बोगाराम दिनांक 29.03.02, नोटेरी प्रमाणित प्रति पहचान पत्र बोगा, प्रमाणित प्रति जवाबदावा रामेश्वर/भेतरी अपरजिला न्यायाधीश भादरा अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0सं. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर ख्यालीराम एक मात्र वारिस मायादेवी उर्फ सगरणी जो रेस्पो0 की माता है, का उत्तराधिकारी होने की हैसियत से वादग्रस्त भूमि के संबंध मे अनुतोष चाहते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। जबकि प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार ख्यालीराम के कोई सन्तान नही थी जो प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत नाथुसरी चौपटा साबित है एवं राशन कार्ड के अनुसार राशनकार्ड मे ख्यालीराम पुत्र गंगाबिशन एवं शांतिदेवी पत्नि ख्यालीराम कुल दो सदस्य अंकित है। ख्यालीराम से संबंधित दस्तावेजो मे कही भी मायादेवी उर्फ सगरणी के नाम अंकित नही है। रेस्पो. सं. 1 ता 6 की माता का नाम रिकार्ड मे मायादेवी उर्फ रामी तो दर्ज है परन्तु कही भी सगरणी दर्ज नही है। आवेदन पत्र प्रेमकुमार दिनांक 22.03.2013 से साबित है कि माया देवी उर्फ रामी पत्नि चेतराम है जिसकी मृत्यु दिनांक 05.12.2011 हो चुकी है जिसके जायज वारिसान रामेश्वर पुत्र व बनारसी पुत्री है एवं साधुराम पुत्र जो की फौत हो चुका है जिसके वारिसान शांति पत्नि, रविन्द्र, कुलदीप पुत्र, सीतादेवी पुत्री है अंकित किया गया जिसमे भी मायादेवी उर्फ रामी देवी अंकित किया गया, सगरणी कही भी अंकित नही किया गया। प्रस्तुत पुलिस थाना नाथुसरी चौपटा की रिपोर्ट के अनुसार ख्यालीराम के सगरणी नाम की कोई पुत्री नही है। अपील मे अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के

आधार पर यह साबित होता है कि ख्यालीराम के सगरणी नाम की कोई पुत्री संतान थी तथा ख्यालीराम के कोई औलाद भी नही थी। इसलिए रेस्पो0 सं. 1 ता 6 जो सगरणी उर्फ माया देवी का वारिसान दर्शाते हुए सगरणी उर्फ मायादेवी को ख्यालीराम की पुत्री बताते हुए वादग्रस्त जो ख्यालीराम के नाम दर्ज है, की घोषणा अपीलाधीन निर्णय के जरिये बिना प्रभावित पक्षकार को संयोजित किये नही करवा सकते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो बिना प्रभावित पक्षकार को सुने पारित किया गया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होने के कारण निरस्त किया जाकर उभय पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर नये सिरे से निर्णय हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2014 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को अपीलाधीन प्रकरण मे बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण मे तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय प्रसारित करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति से सहित लौटाई जावें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 14.11.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ